<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़।</u>

उपस्थितः–इन्द्र जीत सिंह–II उ०प्र०न्यायिक सेवा(UP1676)

गौरव पाल बनाम अज्ञात

मु०अ०सं० 239/2021

मुकदमा सं० 598/2022

अं०धारा 406 भा०दं०सं०

थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

<u>लोक अदालत</u>

<u>दिनांक–12.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। विवेचक ने मुकदमा अपराध सं० 239/2021, धारा 406 भा०दं०सं०, थाना पिलखुवा में अन्तिम रिपोर्ट सं० 134/21 प्रेषित की गई।

उक्त एफ०आर० पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। उक्त केस में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट पर अनापत्ति दाखिल करते हुए वादी मुकदमा द्वारा कथन किया गया है कि उक्त मुकदमा प्रार्थी द्वारा दर्ज कराया गया था। जिसमें थाना पिलखुवा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। प्रार्थी एफ.आर. स्वीकृत कराना चाहता है। जिसमें विवेचक द्वारा उक्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वादी मुकदमा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाने की याचना की गई है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

थाना पिलखुवा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं० 239/2021, धारा 406 भा०दं०सं० में अन्तिम रिपोर्ट सं० 134/21 न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा इस आधार पर अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गई है की तमानी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहन, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य संकलित साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के अज्ञात अभियुक्तगणो के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो पायी है। प्रार्थी ने उपस्थित होकर उक्त एफ.आर. पर कोई आपत्ति नहीं दाखिल की है और उक्त एफ०आर० स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है तथा स्वंय का शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। जिससे विवेचक के कथनो की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

गौरवपाल बनाम अज्ञात, मुकदमा अपराध सं० 239/2021, धारा 406 भा०दं०सं०, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं० 134/21 दिनांकित 18.12.2021 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्र जीत सिंह–II)
JO.Code–UP1676
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हापुड़।